

पुष्पा देवी बनाम धन्नालाल वर्मा  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज<br>मुंनं - 143/2017  |
|------------|---|
| 27-3-18    | <p>पक्षावली पत्र हुई। पक्षुजाल उभय पक्षकाल उपरिष्ठाव। वकील अब्राहीम ने वकील प्राचीन इका फिर्मा 269-17 को पत्र प्राचीन पत्र वाला दिहा किये जाने काद पत्र पर कोई आपत्ति नहीं होना आपा जादिर किये जाने से मूल काद पत्र विहा किये जाने की अनुमति दी जाने पर मूल काद पत्र विहा हो चुका है। अतः ऐसी रिश्तावे में इस प्राचीन पत्र अस्मादि जिसे काशर को अगले पक्षो जाने का कोई अस्मादि प्रतीत नहीं होना है। अतः प्राचीन पत्र अस्मादि जिसे काशर को इसी स्वर पर खारीय किया जाकर है। पक्षावली फैसल सुमार होकर काद तकमील करिख करार हो।</p> <p style="text-align: right;">GM -<br/>(अहम जाल मर)<br/>RAS<br/>AC &amp; Em (T)<br/>सीकर कोपुर</p> |